न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

...12/2021
...आरएस : 2021/28
...जगनन्दनसिंह पुत्र श्री बलीवरसिंह जाति जटसिख साकिन 65 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
...विक्रमपालसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह जाति जटसिख साकिन 65 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादीगण

बनाम

1. मनजीतसिंह पुत्र श्री स्वर्णसिंह जाति जटसिख साकिन 65 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2. केसरीदेवी पुत्री श्री छजूराम जाति ब्राहाम्ण साकिन 66 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
3. देवकीदेवी पुत्री श्री छजूराम जाति ब्राहाम्ण साकिन 66 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
4. पुष्पादेवी पुत्री श्री छजूराम जाति ब्राहाम्ण साकिन 66 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
5. मदनलाल पुत्र श्री छजूराम जाति ब्राहाम्ण साकिन 66 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
6. मोहनलाल पुत्र श्री छजूराम जाति ब्राहाम्ण साकिन 66 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
7. लभूराम पुत्र श्री छजूराम जाति ब्राहाम्ण साकिन 66 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

<u>**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955**</u>

तारीख रजू 08.02.2021

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री गुरप्रतापसिंह अधि. वादीगण।
2. एकपक्षीय कार्यवाही प्रति.सं. 1 ता 7

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक : 21.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक जमाबन्दी सं. 2073—2076 वाके चक 66 आरबी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या नया 70 पुराना 58 मे पं.नं. 191/271 मु. नं. 33 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.200 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि में वादी जगनन्दनसिंह का 1139/3100 हिस्सा अर्थात 2.278 है. वादी विक्रमपालसिंह का 2277/6200 हिस्सा अर्थात 2.277 है. प्रतिवादी मनजीतसिंह का 759/3100 हिस्सा अर्थात 1.518 है. व शेष प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 प्रत्येक का 0.021—0.021 है. व प्रतिवादी सं. 7 का 0.022 है. नहरी कृषि भूमि खातेदारी है। विवादित रकबा का पक्षकारान के मध्य संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहने एवं लगान—कर आदि की अदायगी को लेकर व अन्य छोटी—छोटी बातों को लेकर हमेशा झगडे व विवाद का भय बन रहने एवं भूमि में अपनी सुविधानुसार [illegible] उर्जा लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही व अनुदान वगैरा प्राप्त करने, बैंक [illegible]ीय संस्थाओं से अनुदान—किसान क्रेडिट कार्ड—ऋण [illegible] का समूचित सुधार व उत्पादन वृद्धि में रूकावट [illegible] समस्त हा[illegible] परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये कुछ अरसा पूर्व [illegible] और से बाहमी कर काश्त को मध्यनजर रखते अपने—[illegible] बंटवारानामां निम्नप्रकार से कर रखा है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

(क) वादी जगनन्दनसिंह का उसके हिस्सा 2.278 है नहरी अनुसार वाके चक 66 आरबी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 191/271 मु.नं. 33 के कि.नं. 1/0.207 2 ता 5 प्रत्येक 0.228 है, 6 ता 9 प्रत्येक 0.253 है, 10/0.147 पूर्वी पासा कुल 2.278 है नहरी खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्राप्त है जिस पर वादी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और जिसे अपनी मानते हुये काफी भारी राशि खर्च कर व शारीरिक मेहनत लगाकर सुधारा व विकसित किया है।

(ख) वादी विक्रमपालसिंह को उसके हिस्सा 2.277 है नहरी अनुसार वाके चक 66 आरबी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 191/271 मु.नं. 33 के कि.नं. 10/0.085 11/0.232 12 ता 15, 18 व 19 प्रत्येक 0.253 है 17/0.210 है पश्चिमी पासा कुल 2.277 है नहरी खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्राप्त है जिस पर वादी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और जिसे अपनी मानते हुये काफी भारी राशि खर्च कर व शारीरिक मेहनत लगाकर सुधारा व विकसित किया है।

(ग) प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 को उनके 0.021-0.021 व प्रतिवादी सं. 7 के 0.022 है भाग अनुसार वाके चक 66 आरबी के प.नं. 191/271 मु.नं. 33 के कि.नं. 1-10-11-20 प्रत्येक 0.021 है. पश्चिमी पासा व कि.नं. 21 की 0.043 है. पश्चिमी पासा कुल 0.127 है का कब्जा प्राप्त है।

(घ) शेष रकबा प्रतिवादी मनजीतसिंह को उसके 1.518 है हिस्सा अनुसार वाके चक 66 आरबी के प.नं. 191/271 मु.नं. 33 के कि.नं. 16 की 0.253है, 17 की 0.043 है 21 की 0.210 है., 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 है., कुल 1.518 है. का कब्जा प्राप्त है।

वादीगण खातेदार टिनेन्ट होने से घरेलू बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार विधिक बंटवारा करवा अपना खाता सहखातेदार से अलग करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवा पाने के विधिक अधिकारी होने से वादीगण प्रतिवादीगण से अनुरोध करते रहे कि वे विवादित रकबा का घरेलू बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवा खाता विभाजन करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तो प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततःदिनांक 29.01.2021 को बमुकाम 66 आरबी तहसील रायसिंहनगर में प्रतिवादीगण ने कहा कि उन्हे जरूरत नहीं आपको है तो करवा लो, यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादीगण के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। विवादित भूमि श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिए वाद वादीगण श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार में है। समस्त भूमि का मालिक राजस्थान सरकार होने के कारण तहसीलदार रायसिंहनगर को पक्षकार बनाया गया है । दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र वादीगण पेश करके अर्ज है कि न्यायहित मे वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। कि चक 66 आरबी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या नया 70 पुराना 58 में पं.नं. 191/271 मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.200 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि का वादीगण एव प्रतिवादीगण के भाग अनुसार उनके मध्य हुये घरेलू बाहमी बंटवारा जो वाद की मद स. 3 की उपमद (क),(ख), (ग),(घ) में दर्ज है, अनुसार चले आ रहे कब्जा काश्त को स्वीकार करते हुये विधिक बंटवारा व खाता विभाजन की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पारित किया जावे। मुताबिक डिक्री बंटवारा व खाता विभाजन लगान-कर अलग-अलग मुकर करने व राजस्व अभिलेखों में तदनुसार अमलदामद करने के आदेश दिय जावे ।

3. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 की तरफ से किसी के हाजिर नही आने पर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये अख[illegible] पर भी किसी प्रति. 1 ता 7 की तरफ स्वयं प्रतिवादीगण व उ[illegible] किसी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय [illegible]

4. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible]। प्रस्तुत वा[illegible] शपथपत्र एव दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन [illegible] होने पर विवादग्रस्त भूमि चक 66 आरबी [illegible] प.नं. 191/271 के मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है. नहरी खातेदारी [illegible]क एवं हिस्सा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:03:20 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/रथा/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना करते हुए तैयार कर खाता विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु न्यायालय द्वारा पत्र जारी किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2024/415 दिनांक 03.05.2024 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू-अ./024/24802 दिनांक 05.06.2024 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 66 आरबी के खाता संख्या 70/58 के पं.नं. 191/271 के मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है. नहरी खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमावंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. जगनन्दनसिंह पुत्र बलौरसिंह जाति जटसिख साकिन 65 आरबी खातेदार रहन पी. एन.बी.शाखा 22 पीएस चक 66 आरबी मु.नं. 33 का कि.नं. 1/2 में 0.205, 2/0. 228, 3/0.228, 4/0.228, 5/0.228, 6 ता 9 में 1.012है., 10/1 में 0.149 है. कुल 2.278 है. नहरी भूमि।
2. विक्रमपालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जटसिख साकिन 65 आरबी खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा 22 पीएस चक 66 आरबी के मु.नं. 33 के कि.नं. 10/2 में 0.078, 11/2 में 0.227, 12 ता 15 में 1.012है., 16/1 में 0.196 है., 17/1 में 0.196है., 18/1 में 0.196 है., 19/1 में 0.196 है., 20/1 में 0.176है., कुल 2.277है., नहरी भूमि।
3. मनजीत सिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति जटसिख साकिन 66 आरबी चक 66 आरबी मु.नं. 33 के कि.नं. 16/2 में 0.057है., 17/2 मे 0.057है., 18/2 में 0.057 है., 19/2 में 0.057 है., 20/2 में 0.051है., 21/2 में 0.227है., 22 ता 25 में 1.012 है., कुल 1.518 है. नहरी भूमि।
4. केसरीदेवी-देवकीदेवी-पुष्पादेवी-मदनलाल-मोहनलाल-लाभूराम पि. छजूराम जाति ब्राह्मण साकिन 66 आरबी खातेदार चक 66 आरबी के मु.नं. 33 के कि.नं. 1/1 में 0.023है., 10/3 में 0.026है., 11/1 में 0.026है., 20/3 में 0.026है., 21/1 में 0.026 है. कुल 0.127 है. नहरी भूमि।

बहस एकपक्षीय अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 66 आरबी के खाता संख्या 70/58 के पं.नं. 191/271 के मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है. नहरी खातेदारी भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

01. जगनन्दनसिंह पुत्र बलौरसिंह जाति जटसिख साकिन 65 आरबी खातेदार रहन पी. एन.बी.शाखा 22 पीएस चक 66 आरबी मु.नं. 33 का कि.नं. 1/2 में 0.205, 2/0. 228, 3/0.228, 4/0.228, 5/0.228, 6 ता 9 में 1.012है., 10/1 में 0.149 है. कुल 2.278 है. नहरी भूमि।

02. विक्रमपालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जटसिख साकिन 65 आरबी खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा 22 पीएस चक 66 आरबी के मु.नं. 33 के कि.नं. 10/2 में 0.078, 11/2 में 0.227, 12 ता 15 में 1.012है., 16/1 में 0.196 है., 17/1 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:03:20 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

0.196है., 18/1 में 0.196 है., 19/1 में 0.196 है., 20/1 में 0.176है., कुल 2.277है. नहरी भूमि।

03. मनजीत सिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति जटसिख साकिन 66 आरबी चक 66 आरबी मु. नं. 33 के कि.नं. 16/2 में 0.057है., 17/2 मे 0.057है., 18/2 में 0.057 है., 19/2 में 0.057 है., 20/2 में 0.051है., 21/2 में 0.227है., 22 ता 25 में 1.012 है., कुल 1.518 है. नहरी भूमि।

04. केसरीदेवी–देवकीदेवी–पुष्पादेवी–मदनलाल–मोहनलाल–लाभूराम पि. छजूराम जाति ब्राह्मण साकिन 66 आरबी खातेदार चक 66 आरबी के मु.नं. 33 के कि.नं. 1/1 में 0.023है., 10/3 में 0.026है., 11/1 में 0.026है., 20/3 में 0.026है., 21/1 में 0.026 है. कुल 0.127 है. नहरी भूमि।

रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:03:20 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner